संख्या-139/2024/1726/सैंतीस-2-2024/003-1(21)/12

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-20 अगस्त, 2024

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-178/सा.-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2024-25, दिनांक-07.08.2024 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-113/2024/1417/सैंतीस-2-2024/002-1(21)/12, दिनांक-01.07.2024 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार रू0-873.927 लाख (रूपये आठ करोड़ तिहत्तर लाख बान्नवे हजार सात सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	558.310
03-मंहगाई भत्ता	301.426
55-मकान किराया भत्ता	14.191
योग-	**873.927**

(रूपये आठ करोड़ तिहत्तर लाख बान्नवे हजार सात सौ मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
4. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।
7. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001010600 (पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	01 वेतन	5,58,31,000 (रुपये पाँच करोड़ अट्ठावन लाख इकतीस हजार मात्र)
2	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	03 मंहगाई भत्ता	3,01,42,600 (रुपये तीन करोड़ एक लाख बयालीस हजार छह सौ मात्र)
3	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	55 मकान किराया भत्ता	14,19,100 (रुपये चौदह लाख उन्नीस हजार एक सौ मात्र)
	कुल			**8,73,92,700** **(रुपये आठ करोड़ तिहत्तर लाख बानबे हजार सात सौ मात्र)**

महायोग	8,73,92,700 (रुपये आठ करोड़ तिहत्तर लाख बानबे हजार सात सौ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-139/2024/1726(1)/सैंतीस-2-2024/003-1(21)/12, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-139/2024/1726/सैंतीस-2-2024/003-1(21)/12, दिनांक-20 अगस्त, 2024 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2024-25)

(धनराशि लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	2	3	4	5	6
1	आजमगढ़	9.550	5.160	0.180	14.890
2	अमरोहा	5.470	2.740	0.150	8.360
3	मुजफ्फरनगर	8.600	4.570	0.250	13.420
4	कानपुर देहात	13.200	6.600	0.400	20.200
5	महोबा	30.340	15.620	0.836	46.796
6	हरदोई	27.500	14.720	0.790	43.010
7	बलरामपुर	5.000	3.000	0.000	8.000
8	मऊ	5.460	2.730	0.220	8.410
9	इटावा	3.670	2.050	0.120	5.840
10	फिरोजाबाद	8.530	4.490	0.000	13.020
11	मैनपुरी	42.000	25.000	1.200	68.200
12	बरेली	12.130	6.560	0.380	19.070
13	हाथरस	9.780	4.730	0.320	14.830
14	अलीगढ़	23.680	12.790	0.510	36.980
15	प्रयागराज	5.730	3.046	0.160	8.936
16	सुल्तानपुर	25.000	18.000	0.700	43.700
17	हमीरपुर	4.000	3.000	0.120	7.120
18	अमेठी	4.900	2.600	0.120	7.620
19	गौतमबुद्ध नगर	5.460	2.700	0.000	8.160
20	लखनऊ	7.200	3.500	0.180	10.880
21	मुरादाबाद	4.460	2.000	0.000	6.460
22	संत कबीर नगर	4.000	2.000	0.400	6.400
23	सोनभद्र	22.700	11.350	0.000	34.050
24	लखीमपुर खीरी	4.000	2.000	0.170	6.170

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	रायबरेली	9.200	4.000	0.260	13.460
26	औरैया	17.000	8.000	0.500	25.500
27	चित्रकूट	12.000	5.000	0.400	17.400
28	एटा	90.000	50.000	2.000	142.000
29	फर्रूखाबाद	25.000	13.000	0.750	38.750
30	उन्नाव	19.20	10.900	0.500	30.600
31	फतेहपुर	10.000	6.000	0.330	16.330
32	गाजीपुर	10.000	5.000	0.400	15.400
33	वाराणसी	5.500	3.300	0.260	9.060
34	कासगंज	15.000	8.000	0.400	23.400
35	मेरठ	11.500	6.000	0.500	18.000
36	बुलन्दशहर	12.130	6.000	0.250	18.380
37	बिजनौर	4.660	2.500	0.160	7.320
38	बस्ती	12.000	6.000	0.260	18.260
39	मथुरा	0.760	0.370	0.015	1.145
40	संत रविदास नगर	10.500	5.500	0.000	16.000
41	मिर्जापुर	1.500	0.900	0.000	2.400
योग-		**558.310**	**301.426**	**14.191**	**873.927**

(रूपये आठ करोड़ तिहत्तर लाख बान्नवे हजार सात सौ मात्र)

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।